न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00443

1. नारायण सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह जाति राजपूत ।
2. उदयप्रताप सिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह जाति राजपूत निवासीगण खातौली हाल निवासी केशवपुरा तीन बत्ती चौराहा, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
2. मृतक केशव सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जरिये कायममुकामान :—
   2/1. मनोज सिंह पुत्र केशव सिंह ।
   2/2. राजेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह ।
   2/3. नितु सिंह पुत्री केशव सिंह ।
   2/4. पिंकी पुत्री केशव सिंह ।
   2/5. कुसुम लता सिंह बेवा केशव सिंह ।
   2/6. मृतक आनन्द सिंह पुत्र केशव सिंह जरिये कायममुकामान :—
   2/6/1. तेज सिंह पुत्र आनन्द सिंह ।
   2/6/2. प्रितम सिंह पुत्र आनन्द सिंह ।
   2/6/3. मेना कंवर बेवा आनन्द सिंह जाति राजपूत ।
3. पुष्पोन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
4. नन्दकंवर पुत्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
5. कमलेश कंवर पुत्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
6. सुकन कंवर पुत्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
7. तंवर बाई बेवा दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.06.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 92ए, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल 02 किता की 1.10 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 7 की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं । सवत् 2004 में फोती इंतकाल में वादीगण के पिता भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह का नाम दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु पश्चातवर्ती राजस्व रिकॉर्ड में भंवर सिंह उर्फ छोटासिंह पुत्र आनन्द सिंह दर्ज है । भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह पुत्र आनन्द सिंह लाऔलाद फोत हुए है एवं वादीगण के पिता भंवर सिंह उर्फ छोटासिंह के पिता स्व0 नाथूसिंह का नाम दर्ज रिकॉर्ड होना चाहिए । वस्तुतः भवंर सिंह के नाम दो खातेदारान होने से राजस्व अंकन सम्बन्धी त्रुटि हुई है । जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से सहखातेदारान सरवणसिंह, जतन सिंह, भंवर सिंह उर्फ आनन्दसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । वादीगण को उनके पिता भंवरसिंह उर्फ छोटासिंह पुत्र नाथूसिंह के हिस्से का 1/3 अर्थात 0.37 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी में वादीगण के निहित हिस्स 0.37 हैक्टर का पृथक बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से 0.37 हैक्टर भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, अवरोध उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर बिना कोई गौर किये निर्णय पारित करनें में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन गैर कानूनी है कि उक्त वाद में विधिवत् पक्षकार बनाने से रह गये हैं जबकि पत्रावली पर तलब पक्षकार द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और यदि माननीय न्यायालय का उक्त तथ्य मान भी लें तो शेष बचे पक्षकारों के पास भी पक्षकार बनने हेतु न्यायालय में आवेदन करने का समय था किन्तु ऐसा कोई तथ्य भी न्यायालय की पत्रावली पर नहीं आया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र काल्पनिक दृष्टिकोण के तहत उक्त वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम

जानकारी दिनांक 25.10.2019 को हुई । जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 31.10.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट की पैतृक आराजी है जिस पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सहअंशधारी हैं । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2004 के फोती नामान्तरकरण से अपीलान्ट के पिता भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह का नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु पश्चात्वर्ती राजस्व रिकॉर्ड में भंवर सिंह उर्फ छोटासिंह पुत्र आनन्द सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जबकि उक्त भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह नाथू सिंह के पुत्र थे । इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम संशोधन किया जाकर अपीलान्ट को उसके निहित हिस्से 1/3 (0.37 हैक्टर) का खातेदार घोषित किया जावे । दावा दर्ज रिकॉर्ड किया गया । रेस्पोडेन्ट कम 1 और 2 के द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया । रेस्पोडेन्ट कम 03 के द्वारा भी स्वीकारोक्ति का जवाबदावा पेश किया । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है जबकि उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्या के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य था । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2004 में फोती नामान्तरकरण में वादीगण के पिता भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह का नाम दर्ज है परन्तु बाद वाले रिकॉर्ड में भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह पुत्र आनन्द सिंह का नाम दर्ज है जबकि भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह के पिता का नाम नाथूसिंह दर्ज होना चाहिए ।

11. पत्रावली के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041 से 2060 प्रदर्श– पी–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2004 प्रदर्श– पी–2, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041–2060 प्रदर्श– पी–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2036–39 प्रदर्श– पी–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श – पी–5 एवं पी–6, नकल खतौनी बन्दोबस्त सवंत् 2008 से 2022, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041

से 2060 प्रदर्श– पी–8, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श– 09, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– पी–11 पेश किये गये है ।

12. नारायण सिंह का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है परन्तु नारायण सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है ।

13. वादीगण का यह कथन है कि भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह के पिता नाथू सिंह दर्ज किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह के पिता का नाम आनन्द सिंह दर्ज है । वादीगण का यह कथन है कि भंवर सिंह उर्फ छोटा सिंह पुत्र आनन्द सिंह लाऔलाद फोत हुआ है और राजस्व रिकॉर्ड में यह अंकन गलत दर्ज हो रहा है । परीक्षण न्यायालय ने दावा वादी अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया है चूँकि वादीगण के द्वारा विभाजन की प्रार्थना भी की गई है । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं । साथ ही पत्रावली पर वादी के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसकी न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं करवायी गई है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । हम इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने से पूर्व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन के मध्य नजर तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर सीपीसी की पालना में वादी के बयानों में पेश शपथ पत्र की ताईद न्यायालय में करवाकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 02.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 21.06.2021को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/6/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा